न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 74/2019

1. बनवारीलाल उम्र 70 साल
2. गजानन्द उम्र 58 साल

समस्त पुत्रगण मुरली जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी बनड़ा तन ग्राम गिदावाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. भगवाना उम्र 75 साल
2. शंकर उम्र 62 साल

समस्त पुत्रगण भैंरूराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी बनड़ा तन ग्राम गिदावाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् ईस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.)

उपस्थित – 1. श्री फूलचन्द सामोता एडवोकेट वादीगण
2. श्री झाबर सिंह भारणी एडवोकेट प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक –19.10.20

वाद वादीगण संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गिदावाला पटवार मण्डल सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 531 लगायत 536 कुल किता 6 कुल रबा 4.62 हैक्टे. की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है, जो गलत दर्ज है। प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी 1, 2 आपस में एक ही परिवार से हैं तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता क्रमशः भैरू व मुरली आपस में सगे भाई थे तथा वादग्रस्त भूमि पर बहिस्सा बराबर – बराबर काबिज काश्त चले आ रहे थे परन्तु प्रतिवादी 1 व 2 के पिता भैंरू परविार में बड़ा व कर्ताधर्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

था इसलिए वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भैंरू के नाम दर्ज हो गयी तत्पश्चात् विरासत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के चली आ रही है जबकि उक्त भूमि पर वादीगण का पिता मुरली पुत्र छोटू 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पिता भैंरू पुत्र छोटू 1/2 हिस्सा पर काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1, 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 2, 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादीगण उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि के कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के भी वादीगण अधिकारी है। वादीगण के कहने पर प्रतिवादीगण खातेदारी दर्ज कराने से इन्कार होने एवं कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी देने पर बिनाय ए दावा पैदा होकर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। वादीगण ने वाद पत्र में अनुतोष चाहा कि वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि कृषि भूमि खसरा नंबर 531 लगायत 536 कुल किता 6 कुल रकबा 4.62 हैक्टे. तन ग्राम गिदावाला पटवार हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर खातेदारी हिस्सानुसार 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 एवं 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हक व कब्जा काश्त की भूमि में मजामहत नहीं करे ना दिगर से करावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण 1 व 2 तथा वादीगण द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान वादीगण तथा प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार से हैं जिन्होने आपस में मिल बैठकर राजीनाम कर लिया है। राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नंबर 531 लगायत 536 कुल किता 6 कुल रकबा 4.62 हैक्टे. तन ग्राम गिदावाला पटवार

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

हल्का सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज खतेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जकार उनके स्थान पर खातेदारी हिस्सानुसार 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 एवं 1/4 वादी संख्या 2 एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त की जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है तथा हम सहमत हैं। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद पत्र वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा बाद तस्दीक स्वीकार किया गया। वादपत्र के समर्थना में सादी संख्या 1 ने शपथ पत्र मुख्य परीक्षण बतौर साक्ष्य वादीगण किया। बहस उभय पक्ष सुसनी गयी। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रस्तुत राजीनामा, साक्ष्य का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। अवलोकन से वादग्रस्त भूमि को पैतृक होना सिद्ध होता है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19, आदेश 12 नियम 6 सीपीसी, आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता/ राजीनामा के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर राजस्व ग्राम गिदावाला पटवार मण्डल सिहोड़ी तहसील श्रीमाधोपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 531 लगायत 536 कुल किता 6 कुल रकबा 4.62 हैक्टे. भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा पक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नहीं करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उक्त आदेशानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2020.10.26 12:09:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner